

बिहार सरकार
परिवहन विभाग
अधिसूचना

संख्या—02/17-01/2025, परि0

पटना, दिनांक—.....

मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा 30 की उपधारा—(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के नियम—30 के उपनियम—1(iv) में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :—

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ।** — (1) यह नियमावली बिहार मोटरगाड़ी (संशोधन) नियमावली, 2025 कही जा सकेगी।
(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह अधिसूचना बिहार राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से 05 कार्य दिवस के पश्चात् प्रवृत्त होगी।
2. बिहार मोटरवाहन नियमावली, 1992 के नियम—30 के उपनियम—1(iv) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—
“(iv) वह किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से आँठवीं कक्षा में उत्तीर्ण हो।”

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह0/—

(राज कुमार)

सरकार के सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक—02/17-01/2025, परि0

पटना, दिनांक—

प्रतिलिपि :— अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना द्वारा संयुक्त सचिव, ई0गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 सहित सूचनार्थ एवं राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

ह0/—

सरकार के सचिव,

ज्ञापांक—02/17-01/2025, परि0

पटना, दिनांक—

प्रतिलिपि:— अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/विधि परामर्शी—सह—सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/—

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-02/17-01/2025, परि0

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, बिहार के आप्त सचिव/सचिव, परिवहन विभाग के प्रधान आप्त सचिव/राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार के वरीय प्रधान आप्त सचिव/सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी सहित)/सभी प्रवर्तन पदाधिकारी/सभी मोटरयान निरीक्षक/सभी प्रवर्तन निरीक्षक एवं प्रवर्तन अवर निरीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-02/17-01/2025, परि0 348

पटना, दिनांक-16/01/2026

प्रतिलिपि:- राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि उपर्युक्त अधिसूचना के आलोक में विभागीय सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन करने की कृपा की जाय।

सरकार के सचिव

15/01/2026

ज्ञापांक-02/17-01/2025, परि0

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, बिहार के आप्त सचिव/सचिव, परिवहन विभाग के प्रधान आप्त सचिव/राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार के वरीय प्रधान आप्त सचिव/सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी सहित)/सभी प्रवर्तन पदाधिकारी/सभी मोटरयान निरीक्षक/सभी प्रवर्तन निरीक्षक एवं प्रवर्तन अवर निरीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-02/17-01/2025, परि0

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि उपर्युक्त अधिसूचना के आलोक में विभागीय सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन करने की कृपा की जाय।

ह0/-

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-02/17-01/2025, परि0

348

पटना, दिनांक- 16/01/2026

प्रतिलिपि:- आई.टी.मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

15/01/2026

(Government of Bihar)
Transport Department

NOTIFICATION

No. 02/17-01/2025, Trans. 348

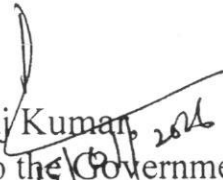
Patna, Dated—

In exercise of the powers conferred by sub section-1 of Section-30 of the Motor Vehicle Act 1988, (Act 59,1988) the Governor of Bihar is pleased to make the following amendments in the sub rule-1(iv) of Rule-30 of The Bihar Motor Vehicle Rules, 1992.

1. **Short title, extent & commencement.-** (1) These Rule may be called the Bihar Motor Vehicle (Amendment) Rules 2025.
(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
(3) This notification shall come into force after 05 working days from the date of its publication in the Bihar Gazette.
2. Sub rule-1(iv) of rule-30 of Bihar Motor Vehicle Rules, 1992 shall be substituted by the following :-

“ (iv)- He/She must have passed the eighth class from a recognised school.”

By order of the Governor of Bihar,


 Raj Kumar
 Secretary to the Government,
 Transport Department, Bihar.